

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक :-एफ 1(01)( ) स्था/निमअ/2016/

जयपुर, दिनांक :

आदेश

जिला कलक्टर, प्रतापगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ को सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 18.01.2021 को दिया गया था, उपखण्ड अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त हो गये है जिससे सहायक निदेशक महिला अधिकारिता के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पन्न नहीं हो पा रहा है।

अतः सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता प्रतापगढ के आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्यों से संबंधित कार्य निष्पादन हेतु सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, चित्तौडगढ को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। जिला स्तर की विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता प्रतापगढ द्वारा किया जायेगा।

— sid —

(रश्मि गुप्ता)  
आयुक्त  
महिला अधिकारिता

क्रमांक:-एफ 1(01)( ) स्था/निमअ/2016/ 10177 -82

जयपुर, दिनांक : 10-3-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. जिला कलक्टर, प्रतापगढ/चित्तौडगढ।
3. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, प्रतापगढ/चित्तौडगढ।
4. संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता, प्रतापगढ।
5. प्रोगामर, महिला अधिकारिता को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.